न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 12/2019

प्रार्थी–

रावल किशनसिंह पुत्र रावल प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. राणाराम पुत्र रूघाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 06 दिनांक 27.10.1982 जो ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 13/2019

प्रार्थी–

रावल किशनसिंह पुत्र रावल प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. पेमाराम पुत्र किस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 04 दिनांक 27.10.1982 जो ग्राम पंचायत साजियाली द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1व2 की ओर से उपस्थित।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 14 / 2019

प्रार्थी–

रावल किशनसिंह पुत्र रावल प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. हेमाराम पुत्र सोनाराम जाति मेघवाल निवासी साजियाली पदमसिंह तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 03 दिनांक 27.10.1982 जो ग्राम पंचायत साजियाली द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंघल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दानसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12 / 02 / 2020

1. प्रार्थी की ओर से यह तीनो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह की ओर से अप्रार्थीगण राणाराम, पेमाराम व हेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6, 4 व 3 दिनांक 27.10.1982 के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त तीनो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

जिला कलक्टर बाड़मेर

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा अप्रार्थीगण राणाराम, पेमाराम व हेमाराम के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम साजियाली मूलराज क्यार मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के विक्रय विलेख सं. 6, 4 व 3 दिनांक 27.10.1982 जारी किया गया। उक्त आवंटन निःशुल्क किया गया हैं तथा आवंटित भूखण्डों का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 150 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा उक्त पट्टे जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टों की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त तीनों निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम जसोल का निवासी हैं जिसकी चल व अचल सम्पति ग्राम जसोल व आस–पास स्थित हैं एवं प्रार्थी के पूर्वज रावल अमरसिंह ग्राम जसोल के रावल थे जिनकी जागीरी की भूमि ग्राम जसोल, साजियाली, सन्तरा, खोखसर, सवाउ, तिलवाड़ा में स्थित थी और सम्पूर्ण भूमि के एकल भू–स्वामी प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्व रावल अमरसिंह थे। रावल अमरसिंह ने वक्त जागीरी सैटलमेंट दिनांक 17.11.1965 को तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर (जागीर) बाड़मेर के आदेशानुसार अपने स्वामित्व व आधिपत्य की जागीरी भूमि की सूची दिनांक 17.11.1965 को सुपुर्द की थी जिस सूची में ग्राम साजियाली मूलराज क्यार में एक कोटड़ी धूड़ा हुआ मकान व नीम का पेड़ दर्ज हैं जो तत्समय से लेकर वर्तमान तक प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चली आ रही है। वर्तमान में उक्त भूमि के उत्तर में चार दिवारी की हुई है व गेट है तथा शेष तीनों तरफ चीणे लगा कर तारबंदी की हुई हैं। उक्त भूमि को डिप्टी कलेक्टर जागीर द्वारा प्रार्थी के पूर्वज रावल अमरसिंह की पर्सनल भूमि मानते हुए आदेश पारित किया हुआ हैं। प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा अप्रार्थीगण सं. 2 राणाराम, पेमाराम व हेमाराम के पक्ष में क्रमशः पट्टा सं. 6, 4 व 3 दिनांक 27.10.982 को जारी कर दिये है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी व उसके पूर्वज रावल अमरसिंह को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि पर अवैध रूप से आलौच्य पट्टे जारी कर दिये हैं, जिसकी लोकेशन कहीं लोकेट ही नहीं हो रही हैं। सरपंच ग्राम पंचायत साजियाली द्वारा आलौच्य पट्टे जारी करने में पंचायतीराज अधिनियम के तहत किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं, कोई अधिसूचना व उद्घोषणा जारी नहीं की हैं और पट्टे जारी करने बाबत ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव भी नहीं लिया गया हैं। तत्कालीन सरपंच ने अपने रिश्तेदारों को अनाधिकृत रूप से लाभ पहुंचाने की गरज से आलौच्य पट्टे जारी कर दिये गये है, जिसमें अप्रार्थी राणाराम वक्त आवंटन नाबालिग ही था। अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली मे केवल सरपंच ग्राम पंचायत साजियाली के ही हस्ताक्षर अंकित हैं तथा सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में की गई हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की ओर से जारी आलौच्य पट्टे अनियमित रूप से एवं अपूर्ण कार्यवाही होने से निरस्त योग्य हैं।

5. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आलौच्य पट्टा विलेख प्रार्थी की जानकारी के बिना गलत तरीके से जारी किये गये हैं जिसकी जानकारी प्रार्थी व उनके पूर्वज को नहीं होने दी गई। अर्सा 5–10 दिन पूर्व अप्रार्थीगण राणाराम, पेमाराम व हेमाराम द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा व निर्माण करने का प्रयास किया व प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया तब प्रार्थी द्वारा उसका विरोध करने पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया गया कि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

उनके पक्ष में आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा जारी किये गये हैं। इस पर प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा विलेखों से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां चाही गई। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया कि आलौच्य पट्टों से सम्बन्धित कोई पत्रावलियां कायम नहीं की गई हैं, केवल मूल पट्टा की परत मौजूद हैं, जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 05.03.2019 को उपलब्ध कराई जाने पर प्रार्थी को जानकारी हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः तीनों की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त करने के आदेश प्रदान करावें।

6. अप्रार्थी सं. 1 सरपंच, ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्रों की ताईद की गई तथा प्रकट किया कि आलौच्य पट्टों की भूमि प्रार्थी के पूर्वज रावल अमरसिंह की जागीरी की भूमि थी जिसे डिप्टी कलेक्टर जागीर द्वारा एकल स्वामित्व की घोषित की गई थी तथा उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी निगरानीकर्ता का ही कब्जा एवं स्वामित्व हैं। ग्राम पंचायत की ओर से जारी किये गये उक्त पट्टा विलेखों से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय की पत्रावली में प्रस्ताव व वार्ड पंचों के हस्ताक्षर इत्यादि नहीं और नही ऐसा कोई दस्तावेज पट्टा पत्रावली में मौजूद हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी किये गये आलौच्य पट्टा विलेखों में ग्राम पंचायत के प्रावधानों का उल्लेख नहीं हैं लेकिन पट्टा पंचायत अधिनियम 1953 के तहत जारी किया गया हैं। पत्रावली में विवादित भूमि पर आधिपत्य व स्वामित्व बाबत कोई अन्य दस्तावेज मौजूद नहीं हैं लिहाजा निगरानी प्रार्थना पत्रों का माफिक जवाब निस्तारण फरमावें।

7. अप्रार्थी सं. 2 राणाराम व पेमाराम की ओर से भी अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया गया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आलौच्य पट्टे खारिज किये जाते हैं तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अप्रार्थी सं. 2 हेमाराम की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 3 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा गलत एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश की गई हैं। ग्राम पंचायत द्वारा गरीब परिवारों को आबादी भूमि में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन किये जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था जिसके आधार पर अप्रार्थी द्वारा अपनी झोंपड़ी बना कर अपना कब्जा स्थापित कर रखा हैं, लेकिन प्रार्थी जागीरदार परिवार से प्रभावशाली होने से अप्रार्थी के भूखण्ड को हड़प करना चाहता हैं। इस हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र आलौच्य पट्टा जारी होने के 37 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया हैं, जो विधिसम्मत नहीं हैं। प्रार्थी के पूर्वज रावल अमरसिंह द्वारा डिप्टी कलेक्टर जागीर को दिनांक 17.11.1965 को प्रस्तुत सूची में अप्रार्थी के विवादित भूखण्ड का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं न ही उक्त सूची के आधार पर डिप्टी कलेक्टर जगीर द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया गया हैं जिसके द्वारा उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के पूर्वज रावल अमरसिंह की व्यक्तिगत सम्पत्ति घोषित की गई हों। ग्राम साजियाली मूलराज क्यार के खसरा नम्बर 55 की भूमि ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह के नाम से किस्म गैर मुमकीन आबादी दर्ज हैं, जिसके लिये आवासीय भूखण्ड आवंटन का ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार हैं। अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध पत्रावलियों का रिकार्ड गायब करने पर कानूनी कार्यवाही हेतु अप्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति पाटोदी को लिखित रिपोर्ट दी गई थी किन्तु प्रार्थी एक प्रभावशाली व्यक्ति होने से किसी प्रकार की निष्पक्ष कार्यवाही होने नहीं दी गई। प्रार्थी अपने आवंटन शुदा भूखण्ड पर पिछले करीब 37 वर्षों से झोंपड़ी बनाकर एवं अन्य मकान निर्माण हेतु कच्चा माल पत्थर व बाड़ कर स्थापित कब्जा सहित निवास कर रहा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1982 में प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा से सम्बन्धित पत्रावलियों में से कई सारे पेज एवं अन्य रेकर्ड अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के साथ मिलीभगत कर गायब कर दिया एवं इस न्यायालय के समक्ष भी दुर्भिसंधि के द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इकबालिया जवाब गलत एवं मनगढ़त आधार पर प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर आलौच्य पट्टा विलेखों को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावें।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया हैं कि आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया हैं तथा न ही अप्रार्थीगण का मौके पर विवादित भूखण्ड पर कब्जा हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह भी प्रकट किया कि आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में कोई अभिलेख मौजूद नहीं हैं और केवल सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा ही उपलब्ध हैं जबकि ग्राम पंचायत कार्यालय से तलब किये गये रिकार्ड में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र, आवंटित आवासीय भू–खण्ड की कब्जा सुपुर्दगी एवं पट्टा विलेख उपलब्ध हैं। अप्रार्थीगण को उक्त आवासीय भूखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवंटन राजस्थान पंचायतीराज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी प्रार्थना पत्रों में आलौच्य पट्टा विलेखों के जारी करने में हुई जिस प्रक्रियात्मक अनियमितता को प्रकट किया गया हैं वे प्रावधान उक्त निःशुल्क आवंटन पर प्रयोज्य नही हैं। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि अपने पूर्वज रावल अमरसिंह की व्यक्तिगत सम्पत्ति होना प्रकट किया हैं तथा इसके सम्बन्ध में डिप्टी कलेक्टर (जागीर) बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत फेहरिश्त पर्सनल प्रोपर्टी ठिकाणा रावल अमरसिंह की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई हैं, जिसके आईटम सं. 15 में "ग्राम साजियाली में कोटड़ी का धूड़ा हुआ मकान जिसमें नीम का पेड़ हैं।" अंकित हैं किन्तु उक्त भूखण्ड का स्थान, पडौस व नाप अंकित नहीं हैं, साथ ही यह जागीरदार की ओर से प्रस्तुत सूची मात्र हैं जिसे डिप्टी कलेक्टर की ओर से स्वीकार किये जाने का कोई आदेश नहीं हैं। वर्तमान में विवादित

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

भूमि ग्राम साजियाली मूलराज क्यार के खसरा नम्बर 55 गैर मुमकीन आबादी के रूप में ग्राम पंचायत साजियाली पदमसिंह के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार प्रार्थी अपने कथन के समर्थन में यह साबित करने में असफल रहा हैं कि आलौच्य पट्टों से सम्बन्धित भूमि उसके स्वामित्व व आधिपत्य की हैं जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अनाधिकार रूप से आलौच्य पट्टे जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त रेकर्ड अनुसार आलौच्य भूखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबादी भूमि में 150 वर्गगज के भूखण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क आवंटित किये गये हैं जिसके लिये प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर आवंटियों के हस्ताक्षर अंकित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निःशुल्क आवंटन 1982 में किये गये हैं जिसमें ऐसी कोई सारवान एवं गंभीर अवैधानिकता की कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में कोई ठोस आधार साबित नहीं किया हैं जिससे आलौच्य प्रकट हों कि आलौच्य पट्टे अवैध, अनियमित, असत्य एवं अपूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी किये गये हैं। इस आधार पर करीब 37 वर्ष पूर्व जारी आलौच्य पट्टा विलेखों को निरस्त किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत तीनो निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

11. निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर